संख्या- 65 /2025/928/2025-001-27-10002(002)/17/2024-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-बस्ती/संतकबीरनगर/सिद्धार्थनगर एवं वाराणसी/ जौनपुर/ चन्दौली के राजकीय नलकूपों के निर्माण की 02 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1669/03-72जी.आर./बस्ती, संतकबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर-13 नवीन राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 27.05.2025 एवं पत्रांक-1175/03-72एच.आई./नलकूप मण्डल वाराणसी-16 नवीन राज.नल.निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 26.05.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-बस्ती/संतकबीरनगर/सिद्धार्थनगर एवं वाराणसी/ जौनपुर/ चन्दौली के राजकीय नलकूपों के निर्माण की निम्न 02 परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0305-24 ''नलकूपों का निर्माण'' में प्राविधानित धनराशि रू0 18000.00 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 5,49,33,000/- (रूपये पांच करोड़ उनचास लाख तैंतीस हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजा का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट (परियोजना हेतु धनराशि)	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	नलकूप मण्डल, बस्ती के अन्तर्गत जनपद-बस्ती, सन्तकबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 13 अदद नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (**302.31**)	07/2025/3148/24-001-27-10002(002)/17/2024-10, दिनांक 22.01.2025	517.45 (a)/ 431.62 (b)	509.31	8.14	207.00	302.31	94-4702-102-03-0305-24	**302.31**
2	नलकूप मण्डल, वाराणसी के अन्तर्गत जनपद-वाराणसी, जौनपुर एवं चन्दौली में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 16 अदद नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0305-24	18000.00 (**247.02**)	07/2025/3148/24-001-27-10002(002)/17/2024-10, दिनांक 22.01.2025 एवं 41/2025/550/25-002-27-10002(002)/17/2024-10, दिनांक 26.03.2025	646.77 (a)/ 545.48 (b)	643.67	3.10	333.36 (258+75.36)	310.31	94-4702-102-03-0305-24	**247.02**
कुल धनराशि											**549.33**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध -

प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-07/2025/3148/24-001-27-10002(002)/17/2024-10, दिनांक 22.01.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,49,33,000 (रुपये पाँच करोड़ उनचास लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020305 नलकूपों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 65 /2025/928(1)/2025-001-27-10002(002)/17/2024-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, **द्वारा**- प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।